न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक—28 अ / 2014</u> <u>संस्थापन दिनांक—28.03.2014</u> <u>फाईलिंग क.234503002082014</u>

संतोष उर्फ प्रेमकुमार पिता उदलदास उर्फ बल्लभदास, उम्र—22 वर्ष, जाति पनिका निवासी—वार्ड नंबर—8 शान्तिनगर भरवेली, थाना भरवेली, तहसील व जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — वादी

विरूद्ध

1—भीलमदास पिता झुकुदास टान्डिया, उम्र—55 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—मु. अधनिया बाई पुत्री झुकुदास, उम्र—45 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—मुकेश पिता सगमदास टान्डिया, उम्र—27 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—म.प्र. शासन तर्फे प्रतिनिधि कलेक्टर बालाघाट कार्यालय कलेक्टेड बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.)

5—इन्द्रबाई पिता सगमदास, उम्र—42 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

6—विद्याबाई पिता सगमदास, उम्र—39 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

7—विमलाबाई पिता सगमदास, उम्र—36 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) 8—पार्वतीबाई पिता सगमदास, उम्र—33 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

9—कलाबाई पिता सगमदास, उम्र—31 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

10—केशरबाई पिता सगमदास, उम्र—29 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

11—लक्ष्मीबाई पिता सगमदास, उम्र—25 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

12—सरस्वतीबाई पिता सगमदास, उम्र—23 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम परसामउ, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — <u>प्रतिवादीगण</u>

-:// <u>निर्णय</u> //:-(<u>आज दिनांक-22/01/2016 को घोषित)</u>

- 1— वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह व्यवहार वाद मौजा परसामउ प.ह.नंबर 55, तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित खसरा नंबर 97/1 व 97/2 रकबा क्रमशः 3.326 व 3.330 कुल रकबा 6.656 हेक्टेअर भूमि(जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर 1/4 अंश का स्वत्व प्राप्त होने व उक्त विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण के द्वारा विक्रय की गई भूमि का मुजरा कराकर अपने अंश की भूमि का बंटवारा कर पृथक आधिपत्य हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
- 3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरूष झुकुदास की दो पत्नी चम्हारिन बाई एवं बस्ताबाई थी। झुकुदास की प्रथम पत्नी चम्हारिन बाई से चार संतान उत्पन्न हुए, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 हैं तथा अन्य दो

संतान सगमदास व ढीमरीन बाई फौत हो चुके हैं। सगमदास का पुत्र प्रतिवादी कमांक-3 है। झुकुदास की द्वितीय पत्नी बस्ताबाई से एक पुत्र उदलदास उर्फ वल्लभदास पैदा हुआ, जिसका पुत्र वादी है। मूल पुरूष झुकुदास, उसकी दोनों पत्नियां एवं वादी का पिता उदलदास उर्फ वल्लभदास फौत हो चुके हैं। झुकुदास की मृत्यु के उपरान्त विवादित भूमि पर उसके सभी वारसान का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना था, किन्तु प्रतिवादीगण ने झुकुदास की दूसरी पत्नी बस्ताबाई और उसके पुत्र उदलदास उर्फ वल्लभदास का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं कराकर केवल अपना नाम दर्ज करवा लिया। वादी के पिता उदलदास ने पूर्व में एक व्यवहार वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया था, जिसमें आपसी राजीनामा होने के आधार पर प्रकरण समाप्त हो गया था। उक्त प्रकरण में उदलदास उर्फ वल्लभदास को विवादित भूमि में बराबरी का हक देना स्वीकार किया गया था, किन्तु बाद में वादी के पिता को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। वादी ने वयस्क होने के उपरान्त प्रतिवादीगण से विवादित भूमि पर अपना हिस्सा मांगा, किन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में विकय की गई भूमि को उनके हिस्से में से मुजरा किये जाने की भी मांग करते हुए विवादित भूमि पर वादी के पिता उदलदास उर्फ वल्लभदास का हक होने से उसके पिता के फौत होने के उपरांत वादी को विवादित भूमि पर 1/4 अंश प्रतिवादीगण से दिलाया जाने का अनुतोष की वादी ने मांग की है।

- 4— प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 ने लिखित कथन में वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि मूल पुरूष झुकुदास की दूसरी पत्नी बस्ताबाई से उदलदास उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि वल्लभदास उत्पन्न हुआ था। वादी ने अपने वंशवृक्ष में मृतक सगनदास के सभी वारसानों को दर्शित नहीं किया है। वादी का झुकुदास के वारसानों से कोई सरोकार नहीं है। वादी उदलदास की संतान है तथा उदलदास का झुकुदास से कोई संबंध नहीं है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।
- 5— प्रतिवादी कमांक—4 से 12 की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है तथा वे प्रकरण में एकपक्षीय है।

6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

	(// 0)	
क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी का पिता उदलदास मूल पुरूष झुकुदास	प्रमाणित नहीं
	का वैध पुत्र है ?	
2	क्या वादी को उसके पिता उदलदास के विधिक	
	वारसान के रूप में मौजा परसामहू प.ह.नं 55 रा.नि.मं.	0 0
	व तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित नं–97 / 1 व	प्रमाणित नहीं
	97/2 रकबा क्रमशः 3.326, 3.330 हेक्टेअर भूमि पर	
	1/4 अंश का स्वत्व प्राप्त है ?	
3	क्या वादी उक्त विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण	
	के द्वारा विकय की गई भूमि का मुजरा करवाकर एवं	
	अपने अंश का बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त	प्रमाणित नहीं
	करने का हकदार है ?	
4 \	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम
		कंडिका अनुसार

—ः <u>सकारण निष्कर्ष</u> ः— वादप्रश्न क्रमांक—<u>1 से 3 का निराकरण</u>

- 7— सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादी पर है कि उसके पिता उदलदास उर्फ बल्लभदास मूल पुरूष झुकुदास के पुत्र थे और झुकुदास के फौत उपरान्त विवादित भूमि में उदलदास उर्फ बल्लभदास को वारसान हक प्राप्त होने से वादी को उसके पिता के फौत उपरांत विवादित भूमि पर 1/4 अंश प्राप्त है।
- 8— वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि की संशोधन पंजी दिनांक—29.06.1968 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—1 पेश की है, जिसमें झुकुदास के वर्ष 1968 में फौत होने के कारण उसके वारसान के रूप में सगमदास, भीलमदास, ढीमरीनबाई, अधनियाबाई एवं चम्हारीनबाई का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। इसके अलावा वादी ने उदलदास का शाला स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रदर्श पी—2 पेश किया है, जिसमें उदलदास के पिता का नाम झुकुदास

के रूप में लेख होना प्रकट होता है। उक्त दस्तावेज के अलावा वादी की ओर से अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

9— वादी ने अपने अभिवचन में यह बताया है कि विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण की ओर से कुछ भूमि का विक्रय कर दिया गया है, किन्तु कथित विक्रय की गई भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि विवादित भूमि में से कितनी भूमि का विक्रय कब और किसके पक्ष में किया गया है। वादी ने अपने समर्थन में विवादित भूमि के संशोधन पंजी प्रदर्श पी—1 के अलावा विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख की वर्तमान प्रतिलिपि भी पेश नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं होता कि वर्तमान में संपूर्ण विवादित भूमि किस—किस के नाम पर दर्ज है और उसका वास्तविक रकबा कितना शेष बचा है।

10— वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं संतोष (वा.सा.1), बुधिसंह (वा.सा.2), कौशलबाई (वा.सा.3) के कथन कराएं हैं। प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी भीलमदास (प्र.सा.1), अमरदास (प्र.सा.2) के कथन कराए गए हैं। वादी की ओर से उसके अभिवचन के अनुरूप मौखिक साक्ष्य पेश की गई है, जिसमें वादी के पिता उदलदास उर्फ बल्लभदास को झुकुदास का पुत्र होना बताया गया है। चूंकि प्रतिवादीगण की ओर से उदलदास एवं बल्लभदास एक ही व्यक्ति होने से इंकार किया गया है। ऐसी दशा में वादी की ओर से झुकुदास का पुत्र होने से भी इंकार किया गया है। ऐसी दशा में वादी की ओर से झुकुदास का पुत्र उदलदास होने के संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाना था, किन्तु वादी ने मात्र उदलदास के कक्षा दूसरी के शाला स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रदर्श पी—2 को ही पेश किया है। वादी ने इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है कि उदलदास को नाम से जानने के संबंध में मौखिक साक्ष्य पर्याप्त प्रकट नहीं होती है। इसके अलावा वादी ने स्वयं को उदलदास उर्फ बल्लभदास का पुत्र होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पर्याप्त प्रकट नहीं होती है। इसके अलावा वादी ने स्वयं को उदलदास उर्फ बल्लभदास का पुत्र होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया है।

प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचन में झुकुदास का पुत्र बल्लभदास होना तो स्वीकार किया है, किन्तु बल्लभदास को ही उदलदास के नाम से जानने से इंकार किया है तथा उदलदास का झुकुदास से कोई संबंध न होना बताया है। ऐसी दशा में वादी पर यह साबित करने का अधिक भार था कि उदलदास और बल्लभदास एक ही व्यक्ति हैं और वादी उसका पुत्र है। यदि वास्तव में वादी का पिता उदलदास उर्फ बल्लभदास होता और वह झुकुदास का पुत्र होता तो इस संबंध में शाला स्थानांतरण प्रदर्श पी-1 के अलावा भी उदलदास उर्फ बल्लभदास का अथवा वादी स्वयं का राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, स्कूल अंकसूची जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य वादी को पेश किया जाना था। उक्त के अलावा वादी ने उसके पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र भी पेश नहीं किया है और न ही उसके पिता की मृत्यु दिनांक का उल्लेख वादपत्र में किया है। वादी ने तथाकथित रूप से उसके पिता और प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व व्यवहार वाद में न्यायालय के समक्ष किये गए राजीनामा के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी दशा में वादी को वाद प्रमाणन हेतु प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। वादी को स्वयं के बल पर अपना वाद साबित करना होता है। वादी ने प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य को पेश न कर तथा वादपत्र में विवादित भूमि में से कितने रकबे का विक्रय कब और किसके पक्ष में किया गया, इस बाबद् आवश्यक तथ्यों का लोप किया है। वादी के द्वारा सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध होने पर भी उसे प्रकरण में प्रस्तुत न करने से वादी के विरूद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जानी होगी कि वादी का वाद उसके पक्ष में नहीं था।

12— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य एवं प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी के पिता उदलदास का उपनाम बल्लभदास होना प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट नहीं होती कि उदलदास उर्फ बल्लभदास ही मूल पुरूष झुकुदास का पुत्र था और उक्त उदलदास उर्फ बल्लभदास का पुत्र वादी है। इस प्रकार उक्त तथ्य के अभाव में विवादित भूमि पर वादी का कोई हक होना भी प्रमाणित नहीं होता है। अतएव वादप्रश्न कमांक—1 से 3 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

सहायता एवं व्यय

- वादी ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादी का वाद 13— निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :--
 - (1) वादी का दावा निरस्त किया जाता है।
 - (2) वादी स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर

(सिराज अली) ्श व हार न्यार, बेहर विकास क्रिका क् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,